न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 02/2018
दायर दिनांक :– 11/07/2018
निर्णय दिनांक :– 03/03/2020

अनवान

1. श्री चावण्डसिंह पिता सार्दुलसिंह जाति राजपूत आयु 64 वर्ष निवासी ढिलोडिया तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

———प्रार्थी

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता श्री वरदा जाति सरगडा आयु वयस्क निवासी– ढिलोडिया तहसील गढबोर जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गढबोर, जिला राजसमन्द

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत् आवंटन निरस्तीकरण अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 बाबत् विपक्षी संख्या 1 मांगीलाल पिता वरदा जाति सरगडा निवासी ढिलोडिया तहसील गढबोर को राजस्व ग्राम ढिलोडिया की आराजी नम्बर 456/16 रकबा 5–00 बीघा भूमि मिसल संख्या 45 सन् 1978 के जरिये दिनांक 09.03.1978 को आवंटित हुई निरस्त कराने बाबत्

उपस्थित :–

1– श्री महेन्द्र कुमार श्रीमाली, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री शेषमल गाडरी, अधिवक्ता अप्रार्थी

–: निर्णय :–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । ग्राम ढिलोडिया पटवार हल्का उमरवास तहसील गढबोर जिला राजसमंद की आराजी नम्बर 3806/1539 रकबा 2.00 बीघा व आराजी नम्बर 456/16 रकबा 5.00 बीघा भूमि को विपक्षी संख्या 1 द्वारा गलत रूपेण विधि विरूद्ध तरीके से मिसल संख्या 45 सन् 1978 द्वारा उसके नाम करवा लिया जिससे व्यथीत होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी ग्राम ढिलोडिया पटवार

हल्का उमरवास तहसील गढबोर जिला राजसमंद की आराजी नम्बर 3806/1539 रकबा 2.00 बीघा व आराजी नम्बर 456/16 रकबा 5.00 बीघा भूमि को विपक्षी संख्या 1 द्वारा गलत रूपेण विधि विरूद्ध तरीके से मिसल संख्या 45 सन् 1978 द्वारा उसके नाम करवा लिया। उक्त भूमि खुली होकर इसमें प्रार्थी व गॉव के अन्य व्यक्तियों के मृत पशुओं को लाकर डाला जाता हैं और यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की हैं। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कभी कब्जा आधिपत्य नहीं रहा है नही उसके द्वारा कभी भी इस भूमि पर काश्त की गई है न ही विपक्षी संख्या एक ग्राम ढिलोडिया का निवासी हैं। वास्तव में विपक्षी संख्या एक ग्राम ढिलोडिया का निवासी नहीं है वह तो ग्राम बोरी का निवासी हैं और उसका उक्त भूमि पर कोई कब्जा आधिपत्य नहीं हैं। अभी हाल ही में विपक्षी संख्या एक द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जिस पर प्रार्थी ने विरोध किया तो विपक्षी संख्या एक द्वारा कहा गया कि उक्त भूमि तो उसे आवंटन हो रखी हैं तो प्रार्थी न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर राजस्व रेकार्ड की सत्यापित नकल निकलवाई तो पता चला कि उक्त आराजीह नम्बर 456/16 रकबा 05.00 पॉच बीघा भूमि विपक्षी संख्या एक के नाम पर राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी की हैसियत से दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 ने आवंटन विधि विरूद्ध गलत तथ्यों,धोखे छल से करवाया हैं। आवंटन से पूर्व व पश्चात् राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई, आवंटन निरस्त योग्य हैं। नियम 4 के तहत सार्वजनिक एवं राजकीय भूमि दर्शाई गई हैं जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता हैं। नियम 6 के तहत वर्ग विशेष व्यक्तियों की भूमि आरक्षित रखने का प्रावधान हैं। नियम 7 के तहत आवंटन से 30 या 15 दिन जो भी समय समय पर जारी की गई विज्ञप्तियों में प्रावधान है पूर्व उद्घोषणा जारी की जाती हैं। नियम 8 के तहत भूमि हीन कृषकों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। नियम 9 के तहत उन आवेदन पत्रों को पंजिका में पंजीबद्ध किया जाता हैं। नियम 10 के तहत उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच की जाती हैं। नियम 11 के तहत प्राथमिकता तय की जाती हैं। नियम 12 के तहत भूमि जो आवंटित की जाती हें उसका निर्धारण किया जाता हैं। नियम 13 के तहत आवंटन सलाहकार समिति का गठन किया जाता हैं। उक्त आवंटन में उक्त मेन्डेटरी प्रावधान का पालन नहीं करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि आवंटित की गई जो काबिले निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावें। विवादित आराजीयात भूमि के पास प्रार्थी का आवासीय भूखण्ड है और प्रार्थी अपने भूखण्ड में अवस्थित रास्ते से आता जाता हैं। प्रार्थी व गॉव के अन्य व्यक्तियों के मृत मवेशीयों को इस भूमि में डाला जाता हैं। और इस प्रकार यह भूमि सार्वजनिक उपयोग उपभोग की हैं। यदि उदघोषणा जारी की जाती व वस्तुतः भूमि की जॉच की जाती तो प्रार्थी व अन्य के रास्ते की भूमि विपक्षी संख्या एक को आवंटित नहीं होती। उक्त भूमि आवंटन से आज दिनांक तक विपक्षी संख्या 1 के नाम गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज नहीं हुई हैं। आवंटन आवेदन पत्र पर विपक्षी संख्या 1 को गलत रूप से ग्राम ढिलोडिया का निवासी बताया गया है वास्त व में विपक्षी संख्या 1 ग्राम बोरी तहसील गढबोर का निवासी हैं। इस प्रकार मिथ्या कथन करतें हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तो कानूनन ऐसे प्रार्थना पत्र को विधि सम्मत नहीं माना जाता हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन के लिए जो आवेदन किया गया उसमें अपने नाम व आराजी नम्बर के अलावा किसी भी कलम की पूर्ति नहीं की गई अर्थात आवेदन पत्र पुरा खाली ही प्रस्तुत किया गया जो प्रारम्भ से ही निरस्त होने योग्य हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त विवादित आराजीयात पर न तो कभी काश्त की न ही कोई वृक्ष लगाया । विपक्षी संख्या 1 ने गलतरूपेण मिलीभगत करके अपने आपको ग्राम ढिलोडिया का निवासी बताकर भूमि को कृषि योग्य बताते हुए गलत रिपोर्ट पेश करा भूमि को अपने नाम पर आवंटन करा ली एवं आवंटन अधिकारी द्वारा भी वास्तविकता की सही जॉच किये ही विपक्षी संख्या 1 को भूमि आवंटित कर दी हैं। ऐसा आवंटन प्रारम्भ से ही अवैध हैं, जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/विपक्षी संख्या

एक को राजस्व ग्राम ढिलोडिया तहसील गढबोर जिला राजसमन्द की आराजी संख्या 456/16 रकबा 0.05 बीघा भूमि आवंटित की गई उस आवंटन को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया हैं कि उक्त आवंटन विधि सम्मत प्रकिया अपनातें हुए किया गया हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हैं।उक्त आवंटन आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय अनुसार किया गया हैं, आवंटन में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। आवंटन 1978 में किया गया हैं, जिस पर आपत्ति करने का अपीलांट को कोई हक अधिकार नहीं हैं। आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर किया गया हैं। तथा अप्रार्थी के द्वारा किसी प्रकार की मिलीभगत नहीं की गई हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को खारीज फरमाया जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि उक्त आवंटन विधि सम्मत प्रकिया अपनाते हुए किया गया हैं। तथा आवंटन करने में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हुई हैं। उक्त विवादग्रस्त भूमि का राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियमों के तहत भू–आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर आवंटी श्री मांगीलाल पिता वरदा जाति सरगडा को वर्ष 1978 में आवंटन किया गया था। आवंटन को लगभग 39 वर्ष उपरान्त आवंटन नियम 1970 के 14(4) के तहत आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो किसी भी प्रकार से स्वीकार योग्य नहीं हैं। चूकिं प्रार्थी के द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया हैं जिससे आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय को विधि विरूद्ध ठहराया जा सकें। साथ ही प्रार्थी द्वारा कभी भी इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा या आवंटन हेतू पूर्व में आवेदन पेश नहीं किया गया। इस प्रकार इतने वर्षो पश्चात प्रार्थी का आवेदन किसी भी आधार पर स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। अतः आवंटी का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 आधारहीन होने से खारीज होने योग्य हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) को खारीज किया जाता हैं।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द